



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 16.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कोंच पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय (एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त अबरार पुत्र शागिर निवासी मो० भगत सिंह नगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन हाल पता बडकल थाना सूरजकुण्ड जनपद फरीदाबाद हरियाणा के विरुद्ध कोतवाली कोंच पर मु०अ०सं० 244/22 धारा 363/366/376/506 भादवि ¼ पॉक्सो एक्ट, 3(2) 5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अबरार उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री वृजराज सिंह राजपूत
ADGC



श्री विश्वजीत सिंह
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० सतेन्द्र सिंह
कोर्ट मुहरिर



का० हिरदेश कुमार
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

